रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 753] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 9, 2015/चैत्र 19, 1937
No. 753] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 2015/CHAITRA 19, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2015

का.आ. 981(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) का पुनर्गठन करती है और दिनांक 23 मई, 2013 के भारत के राजपत्र संख्या का.आ. 1330(अ) में प्रकाशित इस मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 30 में निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्-

सदस्य	
(घ)	धारा 5क की उपधारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत नियोक्ताओं के प्रतिनिधि।
30.	श्री के.वी. शेखर राजू, एफएएसआईआई

[सं. वी-20012/1/2013-एसएस-II]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2015

S.O. 981(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) the Central Government hereby reconstitutes the Central Board of Trustees (Employees' Provident Fund) and makes the following amendment in this Ministry's Notification published in the Gazette of India having No. S.O. 1330(E) dated 23rd May, 2013.

2. In the said Notification the following entries shall be substituted at Sl. No. 30, namely.—

MEMBERS

(d) Representatives of Employers under clause (d) of sub-section (1) of Section 5A.

30. Shri K.V. Sekhar Raju, FASII

[No. V-20012/1/2013-SS.II]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.